संख्या- 975/2026/705/22-2-2026-17(328)/2026

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 17 जुलाई, 2026

विषय:- जिला कारागार हरदोई में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी महेन्द्र पुत्र श्री उमाशंकर, निवासी जनपद-हरदोई की सामान्य दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक(मु0) कारागार के पत्र संख्या-13424/प्रोबे0-5-दया0/बैठक-दिनांक 23.02.2026, दिनांक 07.04.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये जिला कारागार हरदोई में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी महेन्द्र पुत्र श्री उमाशंकर, ग्राम-बखरिया, थाना-साण्डी, जनपद-हरदोई का निवासी है। बन्दी द्वारा चुनावी रंजिश को लेकर दिनांक 29.11.2012 को अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी, डंडो व फावडा से मारकर 02 व्यक्तियों को घायल किया गया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-738/2013 में धारा-308/34, 323/34, 324/34, 325/34, 504, 506 आईपीसी के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं०-03, हरदोई के दण्डादेश दिनांक 17.12.2024 द्वारा 05 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया। मा० उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में बन्दी की अपील लम्बित है। बंदी द्वारा दिनांक 04.09.2025 तक अपरिहार 01 वर्ष, 11 दिन तथा सपरिहार 01 वर्ष, 01 माह, 05 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी की आयु दिनांक 04.09.2025 तक 70 वर्ष है।

3- सिद्धदोष बन्दी महेन्द्र पुत्र श्री उमाशंकर की दयायाधिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के प्रकरण पर समिति द्वारा विचार किया गया। जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी को मा० न्यायालय द्वारा प्रदत्त 05 वर्ष कारावास के सापेक्ष दिनांक 04.09.2025 तक अपरिहार 01 वर्ष, 11 दिन तथा सपरिहार 01 वर्ष, 01 माह, 05 दिन की भोगी गयी सजा के सापेक्ष रिहा होने पर समाज में प्रतिकूल संदेश जाने, बन्दी के स्वास्थ्य की दशा स्वस्थ होने तथा पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, हरदोई द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किए जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी।

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार हरदोई में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी महेन्द्र(बन्दी संख्या-316/2024) पुत्र श्री उमाशंकर, निवासी जनपद-हरदोई की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

संख्या- 975/2026/705(1)/22-2-2026 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, हरदोई।
2- अधीक्षक, जिला कारागार हरदोई।
3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।